

राजस्थान सरकार
निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण,
विद्युत मार्ग, ज्योति नगर, जयपुर (राजस्थान) 302005
ईमेल – dir-pen-rj@nic.in दूरध्वा नं. 0141-2740538, 2741687
वेबसाइट :– pension.rajasthan.gov.in
क्रमांक :– प.5(328) निपेवि/नियम/ई – मौद्यूल/2023/ दिनांक :–

समस्त विभागाध्यक्ष

विषय :– IFMS 3.0 पर Advance Increment की सुविधा के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियमों में आगामी माहों में सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों के पेंशन प्रकरण सेवानिवृत्ति की तिथि से 6 माह पूर्व ही पेंशन विभाग को अग्रेषित करने संबंधी प्रावधान उल्लेखित है।

अतः ऐसे प्रकरण जिनमें भविष्य में माह जुलाई/ माह जनवरी में सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को वेतन वृद्धियां स्वीकृत की जानी है। उनको आगामी वेतनवृद्धि (Advance Increment) जोड़ते हुए Tentatively पेंशन प्रकरण IFMS 3.0 पर भेजने की सुविधा विकसित की जा चुकी है। अतः ऐसे कार्मिक जिन्हें जुलाई/जनवरी में सेवानिवृत्त किया जाना है के पेंशन प्रकरण आगामी वेतनवृद्धि (Advance Increment) जोड़ते हुए ही IFMS 3.0 पर अग्रेषित कराये जाने के लिए कार्यालयध्यक्षों को निर्देशित कराये।

साथ ही ऐसे प्रकरणों में कार्मिक की सेवानिवृत्ति से पूर्व यदि अग्रिम वेतन वृद्धि के संबंध में परिवर्तन होता है तो इस निदेशालय एवं पेंशन भुगतान अधिकारी को यथा समय सूचित कराये जाने हेतु भी अधीनस्थ कार्यालयध्यक्षों को निर्देशित कराये जाने का श्रम करायें।


Signature valid
RajKaj Ref
6120645

Digitally signed by Devraj
Designation : Director
Date: 2024.03.15 20:16:34 IST
Reason: (Approver)
निदेशक